

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/964 /

जबलपुर, दिनांक 05/02/2020

श्रीमती साधना वर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को न्यायिक शाखा के सिविल ब्रांच—एक में पदस्थ रहते हुये सिविल ब्रांच—एक की शिफिटिंग प्रशासनिक भवन में कराये जाने के दौरान वारिष्ठ अधिकारेयों के आदेशों की अवहेलना करने के फलस्वरूप सेवा अभिलेख में हर्ज न करने योग्य चेतावनी (Non-recordable warning) दी जाती है।


4/3/2020
(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

per

जबलपुर, दिनांक 05/02/2020

पृष्ठाकान क्रमांक C/965 ,

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
 2. एस.पी.एस.ए. आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
 3. रजिस्ट्रार (एन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. असेसर्टेल रजिस्ट्रार (इ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्था. /न्या. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 7. सहायक स्थापना/सेवा पुरितिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, म.प्र.
 8. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. श्रीमती साधना वर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरिति ।


(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रिसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)

per